पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी–बिरकोना मार्ग ,बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. A 1025 / शिक्षा / 2020 बिलासपुर, दिनांक 21 / 09 / 2020

डी.एल.एड. एवं बी.एड. में प्रवेश हेतु आवेदन फार्म भरने की तिथि में वृद्धि संबंधी सूचना

कोविड–19 के कारण राज्य शासन के आदेशानुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर के आदेश क्रमांक / रीडर–जि. दण्डा / 4203 / 2020 बिलासपुर, के तहत दिनांक 19.09.2020 विश्वविद्यालय में दिनांक 22 / 09 / 2020 से 28 / 09 / 2020 तक लॉक डाउन है, इस हेतु आवेदन फार्म भरने की तिथि दिनांक 26 / 09 / 2020 से बढ़ाकर दिनांक 05 / 10 / 2020 तक की जाती है।

डी.एल.एड. प्रवेश : प्रावीण्य सूची हेतु नियम :–

1. डी.एल.एड. के प्रवेश में न्यूनतम अहर्ता एन.सी.टी.ई. के मानक अनुसार निर्धारित होगी। जिसके आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा।

2. डी.एल.एड. प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा।
3. 10वीं में भी समान अंक होने पर जिसका शिक्षण अनुभव अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

4. साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (अगस्त 2020 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नही किया जायेगा।

5. यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत् होना अनिवार्य है।

8